भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 994

(जिसका उत्तर सोमवार, 8 फरवरी, 2021/19 माघ, 1942 (शक) को दिया गया)

कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान शुरू की गई योजनाएं

994. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज':

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान आज की तिथि तक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना का ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक योजना में वर्ष-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) मंत्रालय की इन विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों से राज्य-संघ राज्यक्षेत्र-वार प्राप्त प्रस्तावों तथा अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत चार वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित तथा उपयोग की गई निधियों का योजना-वार/राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समयावधि निर्धारित की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय में कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा), सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी)2016 को प्रशासित करती है। एमसीए से संबंधित सूचना निम्नानुसार है।

1. कोविड-19 महामारी के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई योजनाएं:

(i) <u>कंपनी फ्रेश स्ट्रार्ट योजना(सीएफएसएस) 2020:-</u> मंत्रालय ने दिनांक 30.03.2020 के सामान्य परिपत्र सं. 12/2020 के तहत "कंपनी फ्रेश स्ट्रार्ट योजना(सीएफएसएस) 2020 आरंभ की जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, चूक की अवधि को ध्यान में रखे बिना, कंपनियों को फाइल करने में होने वाली चूकों को दूर करने, तथा पूरी तरह से एक अनुपालनकर्ता निकाय के रूप में नई शुरूआत करने का अवसर प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत विलंबित दस्तावेजों को फाइल करने में हुई चूक को माफ करती है तथा ऐसे अभियोजनों तथा शास्ति के आरोपण की कार्यवाहियों से उन्मुक्ति प्रदान करती है जो दस्तावेजों के इस तरह से विलंब से फाइल करने परिणामस्वरूप हुआ हो। एमसीए रजिस्ट्री में फाइल किए जाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों, रिटर्नों इत्यादि के संदर्भ में दिनांक 01 अप्रैल, से 31 दिसंबर, 2020 की ऋण स्थगन अवधि के दौरान विलंब से फाइल करने के प्रति कोई अतिरिक्त शुल्क प्रभारित नहीं किया गया। रिकार्डों के अनुसार 473131 भारतीय कंपनियां एवं 1065 विदेशी कंपनियां अपने लंबित दस्तावेजों को फाइल करने के लिए सीएफएसएस, 2020 योजना के माध्यम से लाभान्वित हुई हैं।

(ii) <u>एलएलपी निपटान स्कीम, 2020:-</u> इस मंत्रालय ने अपनी दिनांक 04.03.2020 की अधिसूचना के जरिए चूककर्ता, सीमित देयता भागीदारियों (एलएलपी) से संबंधित अतिरिक्त शुल्क में एक बारगी छूट दिए जाने के प्रयोजनार्थ एलएलपी निपटान स्कीम, 2020 को शुरू किया है ताकि कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी अथवा रजिस्ट्रार) के साथ लंबित दस्तावेजों की फाइलिंग करके व्यापारिक उद्यमों में मौजूद अवरोधों को दूर किया जा सके। एलएलपी निपटान स्कीम को शुरू में एलएलपी द्वारा कतिपय फाइलिंग के लिए 16.03.2020 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए शुरू किया गया था।

इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के दौरान इस स्कीम को सभी ई-प्ररूपों में शामिल करने के लिए आगे संशोधन करते हुए 01.04.2020 से 31.12.2020 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया। अभिलेखों के अनुसार अपने लंबित दस्तावेजों को फिल करने के करने के लिए एलएलपी निपटान स्कीम, 2020 को कवर करके 105643 एलएलपी लाभान्वित हुए हैं।

(iii) <u>अधिनियम के तहत प्रभारों के सृजन अथवा संशोधन से संबंधित प्ररूपों को फाइल करने के लिए समय में छूट दिए जाने से संबंधित स्कीम:-</u> कानून की पाबंद कंपनियों को राहत दिए जाने और कोविड-19 महामारी के अवसर पर भारत सरकार के प्रयासों का अनुसरण करते हुए एमसीए ने अपने 17 जून, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 23/2020 के जरिए अधिनियम के तहत प्रभारों के सृजन अथवा संशोधन से संबंधित प्ररूपों को भरने के लिए समय में छूट दिए जाने के निमित्त इस स्कीम को शुरू किया है -

(क) जहां कहीं प्रभारों के सृजन/संशोधन की तारीख 01.03.2020 से पहले है तथापि ऐसे प्ररूप को फाइल करने की समय सीमा 01.03.2020 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 77 के तहत समाप्त नहीं हुई है और यदि प्ररूप को 31.12.2020 अथवा उससे पहले फाइल किया गया है तो उक्त प्ररूप के लिए शुल्क नियमावली के तहत 29.02.2020 की स्थिति के अनुसार यदि देय लिया जाएगा। यदि इस प्ररूप को फाइल किया जाएगा तो लागू शुल्क को 01.01.2021 से शुरू होने वाले दिनों की संख्या जोड़ने के बाद शुल्क नियमावली के तहत लिया जाएगा तथा इसके तहत 29.02.2020 तक प्रभार के सृजन की तारीख से समाप्त हुई अवधि सहित फाइलिंग की तारीख की समाप्ति भी जोड़ी जाएगी।

(ख) जहां कहीं प्रभार सृजन/संशोधन की तारीख 01.03.2020 से 31.12.2020 के बीच पड़ती है और जहां प्ररूप को 31.12.2020 से पहले फाइल किया गया है तो वहां शुल्क नियमावली के तहत देय सामान्य शुल्क लिया जाएगा। यदि प्ररूप को इसके बाद फाइल किया गया है तो प्रभार के सृजन/संशोधन की तारीख के बाद पहले दिन को 01.01.2021 की स्थिति के अनुसार गिना जाएगा और प्ररूप की फाइलिंग की तारीख तक दिनों की संख्या शुल्क नियमावली के तहत शुल्क के भुगतान के प्रयोजनार्थ तदनुरूप गिनी जाएगी।

(iv) <u>01 दिसंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के दौरान एनसीएलटी द्वारा बहाल की गई कंपनियों के लिए विलंब में रियायत दिए जाने संबंधी स्कीम:-</u> देय प्ररूपों को फाइल करने संबंधी लाभों को प्रदान करने और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा बहाल की गई कंपनियों के लिए अतिरिक्त शुल्क को माफ करने के प्रयोजनार्थ मंत्रालय ने अपने 15.01.2021 के परिपत्र संख्या 3/2021 के द्वारा अधिनियम की धारा 252 के तहत 01 दिसंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के दौरान एनसीएलटी द्वारा बहाल की गई कंपनियों के लिए विलंब दोषमार्जन स्कीम की घोषणा की गई। इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रार के पास प्ररूप फाइल करने में दोषमार्जन विलंब का प्रावधान करने के साथ-साथ, अतिरिक्त शुल्क के भुगतान में माफी दी गई है। अन्य कतिपय शर्तें निर्धारित की गई हैं और स्कीम के दस्तावेज में मौजूद हैं। यह स्कीम 01 फरवरी, 2021 से लागू होगी और 31 मार्च, 2021 तक ऐसी कंपनियों द्वारा किसी भी देय ई-प्ररूपों की फाइलिंग के लिए उपलब्ध होगी।

इसके अलावा, कारपोरेट कार्य मंत्रालय में सरकार द्वारा दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की धारा 4 के तहत चूक की सीमा दिनांक 24.03.2020 की अधिसूचना के तहत एक लाख रुपये की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है। साथ ही, आईबीसी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 दिनांक 23.09.2020 को आईबीसी में धारा 10क को अंत:स्थापित करने के लिए अधिसूचित किया गया जो दिनांक 05.06.2020 से प्रवृत्त हुआ, इसमें कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) को आरंभ किए जाने के अस्थायी निलंबन के लिए छह महीने की अवधि अथवा ऐसी ही आगे किसी अवधि के लिए जो 25 मार्च, 2020 से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं हो, के लिए संहिता की धारा 7, 9 एवं 10 के लिए प्रावधान किया गया है। निलंबन का यह लाभ कारपोरेट कर्जदारों की उन सभी चूकों के लिए प्रयोज्य होगा जो दिनांक 25 मार्च, 2020 से निलंबन की अवधि के अंत तक के हों। उक्त निलंबन दिनांक 22.12.2020 की अधिसूचना के तहत दिनांक 25.12.2020 की तिथि से तीन माह की अगली अवधि तक बढ़ा दिया गया है। 25 मार्च, 2020 से ऐसे निलंबन की अवधि पूरे होने के बीच की अवधि में होने वाली ऐसी चूकें स्थाई छूट के रूप में संहिता के तहत सीआईआरपी को प्रारंभ करने के प्रयोजन हेतु 'नास्ति-तथ्य' के रूप में रहेगा। आईबीसी की धारा 66 में भी इस आशय के साथ संशोधन किया गया है ताकि कोविड अवधि में हुई चूकों के लिए निदेशकों को निजी देयताओं से संरक्षण प्रदान किया जा सके।

****